न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–३, फिरोजाबाद।

उपस्थित– पी०के०जैन–एच०जे०एस०

एस०एस०टी०सं०–२४/२०१५

उत्तर प्रदेश सरकार

बनाम

आफताब पुत्र इमामुददीन

निवासी– नाले की पुलिया, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।

अन्तगर्त धारा २० स्वापक ओषधि और मनः
प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५
अपराध संख्या–७६६/२०१४
थाना–दक्षिण, फिरोजाबाद।

निर्णय

१– पुलिस थाना–दक्षिण फिरोजाबाद के वादी अन्वेषक के द्वारा न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में मु०अ०स०–७६६/१४ अन्तर्गत धारा १८/२० स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश –फिरोजाबाद के द्वारा संज्ञान लिया तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अन्तरण आदेश दिनांकित १७–०१–१५ से पत्रावली विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

२– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक १७–०९–२०१४ को उपनिरीक्षण नरेन्द्र सिंह मय हमराही का० राधेश्याम, का० शमीद अहमद, का० नीरज कुमार के बहवाले रपट संख्या –४ समय ०३.०५ ए०एम० पर रवाना होकर तलाश वांछित में मामूर थे। जब गश्त करते चन्द्रवार गेट पर आये तो मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहा है जिसके पास नाजायज चरस है यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर यकीन कर मय मुखबिर आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ली तथा इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। जनता के गवाह फराहम करने का प्रयास किया गया परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात रेलवे स्टेशन की ओर से एक व्यक्ति आता दिखायी दिया। जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यहीं व्यक्ति है और चला गया। जैसे हीं वह व्यक्ति सामने आया उसे रोका व टोका गया वह पीछे मुड़कर भागा जिसे घेरकर आवश्यक बल का प्रयोग कर ६.१५ ए०एम० पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने बताया कि आफताब पुत्र इमामुददीन, निवासी–

नाले की पुलिया, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद बताया उसने कहा मै चरस का धन्धा करता हूं मेरे पास चरस है इसलिए भाग रहा था। उसे बताया कि यह उसका अधिकार है कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकता है। इस पर उसने कहा साहब अब मै पकड़ हीं गया हूं तो आप हीं मेरे तलाशी ले लीजिए तो उसने सामने की गुप्त जेब से पालीथिन में लिपटी हुई चरस बरामद हुई जिसका वजन कराने पर १५० ग्राम है। बरामद चरस में ५० ग्राम बतौर नमूना अलग किया गया। शेष चरस को पालीथिन में रखकर सील सर्व मोहर किया गया । नमूना मोहर तैयार का फर्द मौके पर बनायी गयी तथा फर्द पढ़कर हमराहींगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०स०–७६६/१४ धारा १८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया ।

३– अभियुक्त आफताब के विरूद्ध धारा–१८/२० स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ का आरोप दिनांक ०६–०५–१५ को लगाया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

४– अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०– नरेन्द्र सिंह –(उपनिरीक्षक) के द्वारा फर्द बरामदी को प्रदर्श क–१ के रूप में साबित किया है। साक्षी ने सहमति पत्र को प्रदर्श क– २ एवं गिरफतारी मीमो को प्रदर्श क–३ के रूप में साबित किया है। न्यायालय में एक बण्डल खोला गया जिसके कपड़े को साक्षी ने वस्तु प्रदर्श –१ व पालिथिन पर वस्तु प्रदर्श –२ एवं चरस पर वस्तु प्रदर्श क–३ के रूप में साबित किया है। साक्षी ने दूसरे बण्डल के कपड़े को वस्तु प्रदर्श –४, चरस पर वस्तु प्रदर्श –५ के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–२ का० शमीद अहमद के द्वारा फर्द बरामदी को प्रदर्श क–१ के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू०–३ हरवीर सिंह (उपनिरीक्षक) ने अभियुक्त आफताब के विरूद्ध आरोपपत्र को प्रदर्श क–५ के रूप में साबित किया है। साक्षी ने विधि विज्ञान की रिपोर्ट को प्रदर्श क–६ के रूप में साबित किया है। साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श –७ के रूप में साबित किया है। साक्षी ने कार्बन प्रति जी०डी० को प्रदर्श क–८ के रूप में साबित किया है।

५– विशेष सत्र परीक्षण संख्या –२४/१५ राज्य बनाम आफताब में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज संख्या ६ अ पत्रावली पर है जिसमें चरस पायी गयी।

६– अभियुक्त आफताब का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ द०प्र०सं० अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन आरोप को गलत बताया

तथा गलत विवेचना कर गलत गवाही देने का कथन किया है और सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया है।

७– मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

८– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रदर्श क–१ फर्द बरामदगी एवं गिरफतारी को साबित किया गया है जिसमें घटना दिनांक १७–०९–१४ को थाने से बहवाले रपट संख्या –४ समय ०३.०५ ए०एम० पर रवाना होकर गस्त वांछित अपराधी व एन०बी०डब्लू० चौकी नालबन्द में मामूर थे। परन्तु उक्त जी०डी०नम्बर समय ३.०५ ए०एम० दिनांक १७–०९–१४ को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

९– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बल रखता है कि पुलिस कर्मियो के द्वारा जिस रोजनामचाआम नम्बर–४ समय ३.०५ ए०एम० दिनांक १७–०९–१४ को थाने से रवानगी की वह जी०डी० अन्वेषक एवं अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कि युक्तियुक्त रूप से रोजनामचाआम संख्या –४ को दिनांक १७–०९–१४ समय ३.०५ ए०एम० पर पुलिस कर्मियो से थाने से रवानगी युक्तियुक्त रूप से साबित नहीं है।

१०– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस कर्मियो की ओर से अभियुक्त आफताब की गिरफतारी के समय धारा ५०स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ का अनुपालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाऐ प्रस्तुत की।

१– 2011(2) **JIC** 934 (**SC**) **Narcotics Central Bureau vs Sukh Dev Raj Sodhi** एवं

२– 2011 (1) **JIC** 624(**SC**) **Vijaysinh Chandubha jadeja vs state of Gujarat**.

3–2008(3)**JIC** 293 (**SC**) **Man Bahadur vs State of H.P**.

4–**T.B.Anthont vs union of India** 2008 (2) **J.I.C**. 122 (**All**)

5- Suresh vs State of Madhya pradesh (1) J I C -745 (S.C.)

तथा तर्क किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद विधिक व्यवस्था इस दृष्टिकोण के आधार पर धारा ५०स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ का पालन करना पुलिस कर्मियो के लिए आज्ञापक है और उसका कठोरता से अनुपालन होना चाहिए । यह भी तर्क किया है कि यदि अभियुक्त के द्वारा सहमति दी भी गयी है तो भी उसको मजिस्ट्रेट अथवा

राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी के अधिकार सें वांछित नहीं किया जा सकता।

११– सर्वप्रथम प्रदर्श क–२ अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू०–१ उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह वादी मुकदमा के द्वारा अपने हस्तलेख में सहमति पत्र प्रदर्श क–२ साबित किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि साहब मै पकड़ा गया हूं मुझे आप पर यकीन है मेरी तलाशी ले लो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै अपनी तलाशी आपको देना चाहता हूं। मेरी सहमति है। पुलिस अभिरक्षा में सहमति पत्र प्रदर्श क–२ पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है तथा कोई भी जनता का गवाह इस सम्बन्ध में नहीं लिया गया है इसलिए सहमति पत्र से धारा ५०स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ के प्रावधान के अन्तर्गत जिसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लिवा सकता है, से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधि व्यवस्था **Suresh vs State of Madhya pradesh 2013 (1) J I C -745 (S.C.)** मे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल पूछने मात्र से और अभियुक्त के द्वारा सहमति देने से राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने के अधिकार से एन०डी०पी०एस०एक्ट के व्यक्तिगत सर्च के मामले में धारा ५० एन०डी०पी०एस० एक्ट का पालन से वंचित नहीं किया जा सकता । माननीय उच्चतम न्यायालय कि विधि व्यवस्था

१– 2011(2) **JIC** 934 (**SC**) **Narcotics Central Bureau vs Sukh Dev Raj Sodhi** एवं

२– 2011 (1) **JIC** 624(**SC**) **Vijaysinh Chandubha jadeja vs state of Gujarat**.

3–2008(3)**JIC** 293 (**SC**) **Man Bahadur vs State of H.P**.

में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा ५० एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन को पुलिस कर्मियो पर विधायका के द्वारा एक दायित्व सौपा गया है और वह आज्ञापक प्रावधान इसलिए रखा गया है कि विश्वसनीयता पारदर्शित एवं सत्यता रह सके। परन्तु पुलिस कर्मियो के द्वारा अभियुक्त की गिरफतारी पर उसकी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं लिवाकर अभियुक्त के विधिक अधिकारो से वंचित किया है जिससे कि सारी कार्यवाही गिरफतारी एवं बरामदगी दूषित हो जाता है। इसीप्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कि विधि व्यवस्था –

T.B.Anthont vs union of India 2008 (2) **J.I.C**. 122 (**All**) में

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को जामा तलाशी से पूर्व उसको निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाना चाहिए था, परन्तु उसे नहीं ले जाया गया इसप्रकार अभियुक्त की गिरफतारी पर पुलिस कर्मियो के द्वारा स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ की धारा ५० में प्रावधान है कि राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी नहीं लिवाकर आज्ञापक प्रावधान का पालन नहीं करते हुए विश्वसनीयता, पारदर्शित एवं सत्यता को प्रभावित किया है क्योकि अभियुक्त आफताब से चरस कि विधिक प्रावधान का पालन नहीं करने से अभियोजन साक्ष्य दूषित हो जाता है और युक्तियुक्त रूप से बरामदगी सन्देह से परे साबित नहीं मानी जा सकती ।

१२– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस कर्मियो के द्वारा समय ३.०५ ए०एम० पर थाने से दिनांक १७–०९–१४ की रवानगी दिखायी है। अभियुक्त की गिरफतारी दिनांक १७–०९–१४ को समय ६.१५ ए०एम० पर दिखायी गयी है। पी०डब्लू०–१ वादी मुकदमा ने नालबन्द चौराहे से समय ३.३० बजें रात्रि पहुचाया जाना बताया गया है, कितनी देर वह रूका नहीं बता सका और ना हीं वांछित अभियुक्त की जानकारी दे सका । यदि पुलिस कर्मी नालबन्द चौराहे,जी०डी० के आधार पर समय ३.०५ पर रवानगी करके पहुचे थे तो उनको यह जानकारी होनी चाहिए थी कि जिस वांछित अभियुक्त की तलाश में गये थे उनके नाम नहीं बताना, चौकी नालबन्द चौराहे पर कितनी देर रूके ना ही बताना, ऐसा प्रतीत होता है कि पी०डब्लू०–१ जिस समय पर अभियुक्त की गिरफतारी बता रहा है और जो रवानगी का थाने से बता रहा है उसमें कुछ सन्देह है।

१३– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पी०डब्लू०–१ नरेन्द्र सिंह की प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल के पास रिहायशी मकान बताया है परन्तु कोई भी जनता का गवाह नहीं लिया गया है। किन जनता के गवाह से गवाहीं के लिए कहा गया इसप्रकार का न तो फर्द में लिखा है और ना ही गवाहो के नाम अंकित किए गये है इसलिए अभियोजन कथन पर सन्देह उत्पन्न होता है।

१४– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बल रखता है कि पी०डब्लू०–१ व पी०डब्लू०–२ ने प्रदर्श क–१ गिरफतारी बरामदगी फर्द साबित किया है परन्तु जनता का कोई गवाह उपलब्ध होते हुए न लेना उनका नाम अंकित न करना जिनसे गवाहीं के लिए कहा अतः अभियोजन बयान पर सन्देह उत्पन्न होता है। पी०डब्लू०–२ का० शमीम अहमद ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे पास एन०डी०डब्लू० थे। अभियुक्तगण के नाम नहीं बता सकता यदि पुलिस पार्टी थाने से चली थी और अभियुक्त के एन०बी०डब्लू उनके पास थे,

किन–किन अभियुक्तगण के नाम वारंट है और ना हीं इसप्रकार की कोई जी०डी० दिनांक १७–०९–१४ अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी और ना किसी अभियुक्तगण के नाम बताये है। इसलिए थाने से रवानगी सन्देह से परे साबित नहीं होती है।

१५– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बल रखता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को साक्षी पी०डब्लू०–३ के द्वारा प्रदर्श क–६ के रूप में साबित की गयी है। परन्तु माल मुकदमा दिनांक १७–०९–१४ से दिनांक २६–०९–१४ तक किसके कब्जें में रहा, किस रजिस्टर में माल की प्रविष्ट किस नम्बर पर नमूना मोहर व माल की प्रविष्ट की इसप्रकार का कोई भी लिंक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

१६– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बल रखता है कि प्रदर्श क–६ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह वर्णित है कि माल दिनाक २६–०९–१४ को प्राप्त हुआ। परन्तु बरामद माल नमूना दिनांक १७–०९–१४ से दिनांक २६–०९–१४ तक थाने के माल खाने के किस क्रमांक पर माल दर्ज किया गया तथा किस दिनांक को थाने से जी०डी० के आधार पर माल खाने के रजिस्टर में माल निकालने की प्रविष्ट की गयी इसप्रकार का कोई लिंग साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया । अभियुक्त की ओर से २००१ सी आर एल जे १५१५ उच्च न्यायालय दिल्ली वलविन्दर सिंह बनाम स्टेट में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि माल खाना रजिस्टर में ऐन्ट्री नहीं किया है और न हीं सी एफ एस एल फार्म दाखिल किया है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना लिए जाने में अन्तर है तो वहां मामला सन्देह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के आधार पर लिंक साक्ष्य में माल खाने के किस रजिस्टर पर कितने समय तक माल रखा गया और किस दिनांक को जांच के लिए निकाल कर प्रस्तुत किया गया यह अभियोजन कि ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

१७– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अन्वेषक के द्वारा जो नक्शा नजरी प्रदर्श क–४,आरोपपत्र प्रदर्श क–५ प्रेषित किया है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–४ में न तो कोई जनता का गवाह लिया गया है और न हीं आस–पास के किसी व्यक्तियो के बयान लिखे गये है और न हीं जनता के गवाहो को प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बल रखता है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–४ में घटना के आसपास एडवान्स ग्लास वर्क का कच्चा व पक्का रास्ता है। रेलवे का माल गोदाम है परन्तु जनता का गवाह नहीं बनाया गया है।

१८– प्रदर्श क–७ चिक एफ०आई०आर० व प्रदर्श क–८ कार्बन प्रति

जी०डी० एक औपचारिक साक्ष्य है परन्तु जनता का गवाह नहीं होना, थाने से रवानगी की जी०डी० दिनांकित १७–०९–१४ समय ३.०५ ए०एम० जी०डी०नम्बर–४ प्रस्तुत न करना धारा ५० स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ का पालन वादी मुकदमा व साक्षियो के द्वारा न करना लिंक साक्ष्य माल को कब्जें किस रजिस्टर पर किस नम्बर पर अंकित किया जांच के लिए कब माल खाने से निकाला, १० दिन तक नमूना माल कहां रखा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत न करना । यह तथ्य अभियोजन पर सन्देह उत्पन्न करते है।

१९– उक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त आफताब के विरूद्ध लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त आफताब दोषमुक्त किए जाने योग्य है। अभियुक्त आफताब द्वारा धारा ४३७ ए द०प्र०स० का अनुपालन कर दिया गया ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आफताब को आरोप अन्तगर्त धारा–१८/२० स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम –१९८५ से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उसके बन्धपत्र निरस्त कर उसके प्रतिभू को उनके अनुक्रमिक दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। बाद अपील बरामद माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित कर दिया जाये।

(पी०के०जैन)
दिनांक १०–०१–२०१७ अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–३,फिरोजाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी०के०जैन)
दिनांक १०–०१–२०१७ अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–३,फिरोजाबाद।